लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम में सवेरा संस्था का योगदान
(उ0प्र0 के कुशीनगर जनपद पर आधारित)

हरिओम मिश्र*

भारत में असुरक्षित यौन सम्बन्ध और ड्रग्स लेने के लिए संक्रमित और असंक्रमित व्यक्तियों द्वारा एक ही सुई का इस्तेमाल एच0आई0वी0 प्रसार के वाहक हैं। एच0आई0वी0 संक्रमण प्राप्त करने अथवा प्रसारित करने का जोखिम हर किसी का समान नहीं होता। यह ऐसे समूहों अथवा व्यक्तियों के नेटवर्क में फैलता है जो ज्यादा लोगों के साथ यौन संबंध रखने अथवा ड्रग्स के लिए दूसरों के इस्तेमाल किये इन्जेक्शन का प्रयोग करने के कारण जोखिम के उच्च स्तर पर होते हैं। इन उच्च जोखिम समूहों (एच0आर0जी0) में शामिल हैं[1]–

- महिला यौनकर्मी (एफ0एस0डब्ल्यू0)
- पुरूषों के साथ यौन सम्बन्ध बनाने वाले पुरूष (एम0एस0एम0)और ट्रांसजेंडर (टी0जी0)
- इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वाले (आई0डी0यू0)
- ब्रिज पॉपुलेशन (प्रवासी और ट्रक ड्राइवर)

इन उच्च जोखिम समूहों से एच0आई0वी0 का संचरण प्रायः उनके यौन साथियों के माध्यम से ही होता है, जिनमें कि 'आम' आबादी में कम जोखिम वाले यौन सहभागी होते हैं। उदाहरण के लिए, एक यौनकर्मी के ग्राहक की पत्नी अथवा कोई अन्य यौन सहभागी हो सकता है, जिसे कि अपने उच्च जोखिम वाले यौन सहभागी से एच0आई0वी0 प्राप्त होने का खतरा है। वे व्यक्ति जिनके उच्च जोखिम समूहों के अलावा अन्य यौन सहभागी भी होते हैं, उन्हें 'ब्रिज पॉपुलेशन' कहा जाता है[2] क्योंकि वे उच्च जोखिम समूह से सामान्य आबादी तक संचरण के लिए ब्रिज का काम करते हैं। उच्च जोखिम समूह सदस्यों के ब्रिज पॉपुलेशन के सदस्यों में से कई के साथ यौन संबंध हो सकते हैं, जिनका सामान्य जनसंख्या में कम से कम एक यौन सहभागी तो होगा ही। एच0आई0वी0 प्रसार के इस स्वरूप को देखते हुए, एच0आर0जी सदस्यों का एच0आई0वी0 प्रसार न्यूनतम रखना और उनसे ब्रिज पॉपुलेशन में संचरण कम करना ही रोकथाम का सबसे प्रभावी और कुशल लक्ष्य है। इसलिए एच0आर0जी0 और ब्रिज पॉपुलेशन (जिसमें कि प्रवासी और ट्रक ड्राइवर शामिल) लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन0ए0सी0पी0–।।।) में लक्षित हस्तक्षेप[3] –

लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एन0ए0सी0पी0–।।। का ध्यान प्राथमिक रूप से वर्ष 2012 तक मानव में एच0आई0वी0 प्रसार रोकना और इसके रूझानों को उलटने पर है। इस कार्यक्रम की योजना प्राथमिक रोकथाम सेवाओं के साथ 80 प्रतिशत उच्च जोखिम समूहों को कवर करने की है। इसमें शामिल हैं –

- यौन संचरित संक्रमणों का उपचार
- कण्डोम का प्रावधान
- व्यवहार परिवर्तन संचार
- सामुदायिक सहभागिता और भागीदारी के साथ एक अनुकूल माहौल तैयार करना
- देखभाल और सहायता सेवाओं से संपर्क।

एन0ए0सी0पी0–।।। में दो महत्वपूर्ण ढाचागत हस्तक्षेप जोड़े गये हैं–

- टी0आ0ई0 के लिए अनुकूल माहौल को मजबूती प्रदान करना
- सामुदायिक संगठन और स्वामित्व

उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 'राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी' द्वारा गैर सरकारी संस्थाओ से भी निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में महिला यौन कर्मियों पर सवेरा संस्था कार्य कर रही है। संक्षेप में संस्था के उदय तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में योगदान को निम्नवत् देख सकतें है–

सवेरा संस्था[4]

किसी भी सामाजिक संस्था का उद्देश्य समाज के अनछुये पहलुओं को स्पर्श करते हुए एक स्वस्थ, सुसंस्कृत, सभ्य समाज के लिए सरकारी एवं निजी प्रयास के अलावा एक सामूहिक सामाजिक प्रयास करना होता है। सम्भवतः इसी प्रकार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्व0 अनिल कुमार सिंह (09.05.1969–21.06.2009) जब उच्च शिक्षा (एल0एल0बी0, बी0एड0) प्राप्त कर इलाहाबाद से अपने गृह जनपद कुशीनगर में आये तो उन्होंने

* शोध छात्र (समाजशास्त्र विभाग), दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर

आपने जीवन संगिनी श्रीमती मन्जू सिंह व आपने मित्रों तारकेश्वर सिंह, लालबिहारी, जटाशंकर प्रजापति, राकेश पाण्डेय, पूर्णिमा श्रीवास्तवा इत्यादि को साथ लेकर गृह क्षेत्र के समुचित विकास हेतु मंथन करना प्रारम्भ किया।

तत्कालीन समाज में आज के ही समान कई प्रकार की विषमताएं व समस्याएं व्याप्त थीं और इनके समाधान व निराकरण हेतु सरकार के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की भी भरमार थी। परन्तु समाज में कुछ समस्याएं या पहलू ऐसे भी थे जो अभी भी अनछूये थे और न ही इन पहलुओं पर कोई गैर सरकारी संगठन विशेष ध्यान दे हा था। इन्हीं समस्याओं में एक प्रमुख समस्या जनपद में एच0आई0वी0/एड्स के फैलाव की थी।

स्व0 सिंह ने इस समस्या की गम्भीरता को समझा एवं जनपद में एच0आई0वी/एड्स के फैलाव को कम करने का संकल्प लिया। यह एक ऐसी समस्या थी जिस पर उस समय समाज के लोग बात करना नहीं चाहते थे और इसे व्यक्ति की पवित्रता व कलंक से जोड़कर देखते थे। समाज में एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों के साथ पारिवारिक एवं सार्वजनिक दोनो ही स्थानों पर भेद–भाव चरम पर था और इसका एक बड़ा कारण जनपद में जागरूकता का अभाव था। अतः स्व0 सिंह ने इस समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया और 16 जुलाई 1999 ई0 को अपने सहयोगियों के साथ फाजिलनगर ब्लाक के सभागार में बैठक की एवं 'सवेरा' नामक संस्था का अनौपचारिक रूप से गठन किया।

संस्था के गठन के पश्चात् सदस्यों ने एच0आई0वी0/एड्स के सम्बन्ध में जनपद के फाजिलनगर ब्लाक से बिना किसी सरकारी सहायता के जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा समाज के व्यक्तियों को एच0आई0वी0/एड्स की विभिषिका से अवगत कराया। संस्था द्वारा एच0आई0वी0/एड्स होने के कारण, लक्षण, परिणाम, इससे संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल तथा कुछ समूहों जिनसे एच0आई0वी0 का संक्रमण तेजी से फैलता है अर्थात उच्च जोखिक समूहो के लिए धीरे–धीरे समय–समय पर गोष्ठियों, शिविरों, नुक्कड़ नाटकों एवं अन्य विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाने लगा।

उपरोक्त कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप जहां एच0आई0वी0/एड्स की समस्या एवं इसकी मूलभूत जानकारी से जनपद के लोग जागरूक हुए तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की नजर भी संस्था के क्रियाकलापों पर पड़ी। प्रशासन ने संस्था पदाधिकारियों से सम्पर्क किया और उन्हें सरकारी मदद की पेशकश की परन्तु सम्पर्क के दौरान पता चला कि संस्था सदस्यों ने संस्था का 1860 अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अतः शासन/प्रशासन चाहते हुए भी संस्था की कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप संस्था के स्व0 सिंह ने संस्था का पंजीकरण कराने का निर्णय लिया और 24 अगस्त 2006 को औपचारिक रूप से 11 सदस्यों की प्रबन्ध समिति वाली 'सवेरा' संस्था का गठन किया गया। जिसमें अनिल कुमार सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया एवं संस्था को सरकारी मद्द भी मिलना प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार संस्था ने जनपद में एच0आई0वी0/एड्स के सन्दर्भ में मजबूती से कार्य करना प्रारम्भ किया।

कालान्तर में 21 जून 2009 को एक मार्ग दुर्घटना में अनल कुमार सिंह का निधन हो गया एवं इनके स्थान पर इनकी जीवन संगिनी श्रीमती मंजू सिंह ने संस्था अध्यक्ष के पद को संभाला और वर्तमान में भी इस पद को संभालते हुए अपने जीवन साथी के देखे हुए सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं।

वर्तमान में संस्था द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, लखनऊ द्वारा लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के माध्यम से 350 महिला यौन कर्मियों का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। जिनके मध्य संस्था द्वारा निम्न गतिविधियां एवं सेवायें दी जा रही है[5]–

सम्पर्क– इसके अन्तर्गत संस्था महिला यौन कर्मियों की खोज करती है एवं उनसे सम्पर्क स्थापित करती है।

नियमित सम्पर्क– सम्पर्क में आने वाली महिला यौन कर्मियों के साथ संस्था नियमित सम्पर्क में बनी रहती है तथा प्रत्येक 15 दिन पश्चात् संस्था महिला यौन कर्मी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का देखभाल तथा एच0आई0वी0 के प्रति जागरूकता हेतु प्रोत्साहित करती है।

निःशुल्क कण्डोम वितरण– इसके अन्तर्गत संस्था द्वारा महिला यौन कर्मियों को लक्ष्य के अनुसार निःशुल्क कण्डोम वितरण किया जाता है तथा उन्हें प्रत्येक यौन कर्म के समय अनिवार्य रूप से इसके पालन हेतु प्रोत्साहित कर असुरक्षित यौन सम्बन्ध को रोकने का प्रयास किया जाता है।

प्रत्येक यौन कर्मी की तीन माह में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण– इसके अन्तर्गत चयनित प्रत्येक महिला यौन कर्मी का नियमित रूप से प्रत्येक तीन माह में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है जिसके अन्तर्गत गुप्त रोग व शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की जाती है। यह जांच संस्था द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फाजिलनगर/जिला चिकित्सालय अथवा संस्था द्वारा चिन्हित साइड पर पब्लिक प्राइवेट प्रोवाइडर के द्वारा निःशुल्क सम्पन्न होती है।

सिन्ड्रोमिक केस का इलाज– स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात् गुप्त रोग के लक्षण देखें जाने पर संस्था द्वारा महिला यौन कर्मियों का इलाज कराया जाता है।

प्रिज्यूमेंन्टिव ट्रीटमेंन्ट– इसके अन्तर्गत महिला यौन कर्मी को प्रथम बार क्लिनीक पर दवा/चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अन्तर्गत प्रयास होता है कि गुप्त रोग या तो ठीक हो जाय या उसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे।

सिफलिस जांच– यह गुप्त रोगों से सम्बन्धित जांच होती है जो संस्था द्वारा महिला यौन कर्मियों को वर्ष में दो बार उपलब्ध करायी जाती है।

एच0आई0वी0जांच– इसके अन्तर्गत प्रत्येक महिला यौनकर्मी का वर्ष में दा बार प्रत्येक छः माह के अन्दर एच0आई0जांच कराया जाता है। यह जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फाजिलनगर अथवा जिला चिकित्सालय रविन्द्रनगर, पडरौना पर निःशुल्क रूप से सम्पन्न होता है।

एच0आई0वी0 संक्रमित यौन कर्मी को ए0आर0टी0 से लिंक कराना– इसके अन्तर्गत यदि एच0आई0वी0 जांच पॉजिटिव आता है तो संस्था द्वारा यौन कर्मी की सी0डी0–4 जांच करायी जाती है और आवश्यकतानुसार यौन कर्मी को ए0आर0टी0 सेवाएं प्रदान कराते हुए उसका ए0आर0टी0 से लिंक कराया जाता है तथा प्रत्येक छः माह में एक बार अनिवार्य सी0डी0–4 जांच भी कराया जाता है।

ड्राप इन सेन्टर– यह संस्था कार्यालय का वह हिस्सा होता है जहां महिला यौन कर्मियों को ठहराया जाता है तथा एच0आई0वी0 से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को मनोरंजन पूर्ण तरीकों (सी0डी0, डी0वी0डी0 प्रोजेक्टर, पोस्टर इत्यादि) द्वारा प्रदान किया जाता है तथा उनकी समस्याओं को भी सुना जाता है।

पब्लिक प्राइवेट प्रोवाइडर (पी0पी0पी0) पर परामर्श– इसके अन्तर्गत संस्था द्वारा चयनित क्षेत्र में अपनी अच्छी पहचान रखने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किया जाता है जहां महिला यौन कर्मी आवश्यकतानुसार समय–समय पर निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ पाती है।

हॉट स्पाट पर परामर्श– यह वह स्थान होता है जहां महिला यौन कर्मियों के मिलने की सम्भावना अत्यधिक होती है या इन स्थानों पर यौन कर्मी मिलते हैं। इसके अन्तर्गत हॉट स्पाट पर संस्था द्वारा महिला यौन कर्मियों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है तथा उन्हें आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाता है व उनकी समस्याओं को भी जाना जाता है।

डी0आई0सी0 मीटिंग– संस्था द्वारा महिला यौन कर्मियो हेतु निर्मित ड्राप इन सेन्टर पर माह में दो बार अनिवार्य रूप से बैठक सम्पन्न करायी जाती है तथा संस्था द्वारा यौन कर्मियों की समस्या से अवगत होते हुए उन्हे जागरूक बनाये रखने का प्रयास किया जाता है।

हॉट स्पॉट मीटिंग– इसके अन्तर्गत संस्था द्वारा हॉट स्पॉट पर परामर्श के दौरान यौन कर्मियों की जो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उभर कर आती है उन समस्याओं के निराकरण व सुझाव हेतु हॉट स्पॉट पर बैठक आयोजित की जाती है।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक– संस्था द्वारा महिला यौन कर्मियों की जागरूकता पर जो कार्य किया जा रहा है उसकी दशा व दिशा की समुचित जानकारी व क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक सप्ताह के अन्त में संस्था सदस्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न की जाती है।

स्वास्थ्य शिविर– संस्था द्वारा महिला यौन कर्मियों को जागरूक करने एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल व जांच हेतु वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है।

पीयर प्रशिक्षण– महिला यौन कर्मियों में से ही कुछ जागरूक यौन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने वाली यौन कर्मी पियर एजूकेटर कहलाती है और वह अपने समूह की अन्य महिला यौन कर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है एवं संस्था द्वारा दी जा रही सुविधाओं को प्राप्त करने में मदद करती है।

स्टेक होल्डर मीटिंग– समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते है जो महिला यौन कर्मियों एवं उनके व्यवसाय का समर्थन करते हैं तो वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते है जो विरोध करतें है। ऐसे व्यक्तियों को स्टेक होल्डर कहा जाता है। संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है।

एडवोकेसी बैठक– इसके अन्तर्गत चिन्हित स्टेक होल्डर (सकारात्मक या नकारात्मक समूह) के साथ संस्था बैठक करती है एवं महिला यौन कर्मियों की समस्याओं को सामने रखते हुए नकारात्मक समूहों का भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करती है।

कम्युनिटी इवेन्ट– आम तौर पर महिला यौन कर्मियों को समाज सम्मान की भावना से नही देखता ओर इस कारण ये समाज में खुले रूप में नही रहते हैं तथा न ही सामाजिक उत्सवों में प्रतिभाग करते हैं। परन्तु स्वस्थ

समाज एवं व्यक्तित्व के निर्माण हेतु इनका भी मनोरंजन एवं उत्सव होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा महिला यौन कर्मियों का सामुदायिक मिलन/उत्सव सम्पन्न किया जाता है जिसके अन्तर्गत सभी एक दूसरे से मिलते हैं तथा परस्पर विचारों का आदान–प्रदान करते हैं।

मासिक बैठक एवं लक्ष्य निर्धारण पूर्ति व प्रत्येक माह के कार्यों की समीक्षा–

इसके अन्तर्गत संस्था द्वारा प्रत्येक माह सदस्यों की बैठक सम्पन्न की जाती है तथा अगले माह के कार्यों का लक्ष्य निर्धारण करते हुए कार्यरत माह के कार्यों की समीक्षा की जाती है।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत कार्यकर्ता[6]–

लक्षित ह्स्तक्षेप परियोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु छः पद सृजित किए गये हैं जिसमें एक प्रोग्राम मैनेजर एक काउन्सलर, एक एकाउन्टेन्ट, दो ओ0आर0डब्ल्यू0, छः पीयर एजूकेटर तथा दो चिकित्सक सहित कुल 13 सदस्य होंगे।

कार्यक्रम का प्रभाव[7] –

उक्त कार्यक्रम का महिला यौन कर्मियों पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अध्ययन के दौरान साक्षात्कार के अन्तर्गत महिला यौन कर्मियों ने बताया कि पहले वे यौन सम्बन्धों के दौरान सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती थी। परन्तु जबसे वे संस्था के सम्पर्क में आयी हैं एच0आई0वी0/एड्स के सम्बन्ध में काफी जानकारी प्राप्त हुयी है और अब वे अपने व्यवसाय के दौरान सुरक्षित यौन सम्बन्धों पर बल दे रहीं हैं। एक यौन कर्मी ने बताया कि पहले वह यौन सम्बन्ध स्थापित करने के पश्चात् अपने गुप्तांगो को डीटाल से धोया करती थी तथा यौन सम्बन्धी संक्रमणों का गुपचुप तरीके से इलाज कराती थी परन्तु अब अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुयी है तथा बिना कण्डोम के ग्राहक को शारीरिक सम्बन्ध बनाने नहीं देती है तथा जांच हेतु चिकित्सक के पास जाती है। महिला यौन कर्मियों ने बताया कि संस्था नें उन्हें काफी सम्मान दिलाया है तथा संस्था के लोग उनके सुख दुःख में सहयोगी बनते हैं व समय–समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्था 'लक्षित हस्तक्षेप' कार्यक्रम के अन्तर्गत कुशीनगर जनपद में उल्लेखनीय योगदान दे रही है।

सन्दर्भ :

1- NACO, Annual report (2009-10), p. 07. (www.nacoonline.org/upload/AR%2009-10/ NACO_AR_ English%20 corrected pdf)
2- Ibid
3- Ibid, p. 08
4. संस्था अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह व कार्यकर्ता तारकेश्वर सिंह से साक्षात्कार पर आधारित
5. संस्था द्वारा प्राप्त दस्तावेजों पर आधारित
6. उपरोक्त
7. महिला यौनकर्मियों से साक्षात्कार पर आधारित

●